न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1270 सन 2021

अनवान :–

1. सत्यनारायण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र बिंझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. मुन्शीराम पुत्र अगीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र बिंझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अराल प्रतिवादीगण

6. कृष्णा देवी पत्नि बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. बद्री प्रसाद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 767/26 की कुल 8.0180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक शन्ति बनाये रखने के लिये वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने परिवारिक शान्ति बनाये रखने के लिये वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 767/26 की कुल 8.0180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक शन्ति बनाये रखने के लिये वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 767/26 की कुल 8.0180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 6 ,7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक शान्ति बनाये रखने के लिये आपसी सहमति से वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 767/26 की कुल 8.0180हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.265हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.265हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.479हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.265हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.479हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवीद संख्या 6 ,7 का हिस्सा जमाबन्दी में यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सत्यनारायण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मांगेराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र बिंझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र बिंझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

6. कृष्णा देवी पत्नि बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. बद्री प्रसाद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1270 सन 2021 निर्णय दिनांक– 03/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 767/26 की कुल 8.0180हैक भूमि में वादी अकेला 1.265हैक व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.265हैक , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.479हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.265हैक व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.479हैक भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवीद संख्या 6 ,7 का हिस्सा जमाबन्दी में यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner